Email All EE EO

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)

☎ (का.) 0755-2551805, फैक्स : 0755-2556065

ई-मेल : mphousing@email.com

परिपत्र क्रमांक– 11/2018 दिनांक 01/08/2018

विषय :– लम्बे समय से अविक्रित आवासीय/गैर आवासीय सम्पत्ति के युक्तियुक्तकरण हेतु सम्पत्ति के निर्माण के उपरांत अवधि को कम करने के संबंध में ।

मण्डल की पूर्व निर्मित आवासीय/गैर आवासीय सम्पत्तियों के लम्बे समय से अविक्रित रहने एवं उसके रख–रखाव पर व्यय तथा मूल्य में प्रतिवर्ष वृद्धि होने के कारण सम्पत्ति का विक्रय जटिल/अव्यवहारिक हो जाता है । अतः मण्डल की अविक्रित सम्पत्ति के मूल्य के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करते हुए मण्डल की आवासीय/गैर आवासीय सम्पत्तियों को विक्रय कर वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने एवं प्रशासकीय व्यय में कमी करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए परिपत्र क्र0–11/2013 दिनांक 6.9.2013 जारी किया गया था । उक्त परिपत्र के प्रावधान अनुसार युक्तियुक्तकरण कर सम्पत्ति विक्रय के प्रयास मण्डल के अधिकारियों द्वारा किए गये, किन्तु अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण मण्डल द्वारा पुनः परिपत्र क्र0–14 दिनांक 12.8.2016 जारी किया गया । इस परिपत्र में द्वितीय युक्तियुक्तकरण का प्रावधान किया गया, किन्तु युक्तियुक्तकरण हेतु अवधि निर्माण पूर्ण होने के उपरांत 5 वर्ष ही रखी गई है ।जिसमें **सम्पत्ति के युक्तियुक्तकरण हेतु 5 वर्ष पूर्व निर्मित सम्पत्ति को ही लिये जाने का प्रावधान किया गया था ।**

2. पूंजीगत ब्याज एवं पर्यवेक्षण शुल्क की दरों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव मण्डल के 242 वें सम्मिलन में प्रस्तुत करने पर मण्डल के संकल्प क्र0–5111–13/242/02/2018 द्वारा 4 बिन्दुओं पर परीक्षण करने हेतु 5 सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय पारित किया गया । कार्यालयीन आदेश क्र0–04 दिनांक 16.4.2018 को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया ।

3. समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि वर्तमान नीति अनुसार सम्पत्ति निर्माण के 5 वर्ष पश्चात् ही वह सम्पत्ति युक्तियुक्तकरण की परिभाषा में आती है । अतः 5 वर्ष पूर्व निर्मित सम्पत्ति के स्थान पर 3 वर्ष पूर्व निर्मित की शर्त रखी जावे, ताकि सम्पत्ति के व्ययन में तेजी आ सके ।

4. समिति द्वारा की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मण्डल के 244 वें सम्मिलन दिनांक 13.07.2018 की पद संख्या–14 में प्रस्तुत किया गया । मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प क्र0–5149–14/243/07/2018 द्वारा पारित निर्णय अनुसार **लम्बे समय से अविक्रित आवासीय/गैर आवासीय सम्पत्ति का युक्तियुक्तकरण पांच वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष किया जाता है ।**

5. अविक्रित सम्पत्ति को आफर के माध्यम से विक्रय करने बाबत् अन्य नियम/नीति/शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी ।

मण्डल के आदेशानुसार

आयुक्त
म.प्र. गृह निर्माण एव अधोसंरचना
विकास मण्डल, भोपाल

पृ0क्रमांक–1031/सं.प्र./मण्डल/2018 भोपाल, दिनांक 01/08/18

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.अध्यक्ष/आयुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।
2. अपर आयुक्त(1/2), म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।
3. मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य प्रशासकीय अधिकारी/मुख्य सम्पदा अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल।
4 सक्षम प्राधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/ जबलपुर/रीवा/उज्जैन।
5. उपायुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, वृत्त 1, 2, 3 एवं विद्युत भोपाल/तकनीकी, भोपाल/सी.जी.आर. सेल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर।
6. कार्यपालन यंत्री/सम्पत्ति अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग–1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 भोपाल/होशंगाबाद/ग्वालियर–1, 2/मुरैना/गुना/इन्दौर–1,2/धार/खण्डवा/उज्जैन/रतलाम/जबलपुर–1/2/कटनी/छिन्दवाडा/ छतरपुर/सागर/रीवा/सीधी/सतना/सिंगरौली।
7. सम्पत्ति अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर/जबलपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, (मण्डल सचिवालय) म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय भोपाल।
9. कम्प्यूटर शाखा, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल मुख्यालय भोपाल।

(श्रीमती सुनंदा पंचभाई)
मुख्य सम्पदा अधिकारी
म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल